भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 4823

दिनांक 28 मार्च, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

'राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन' के अंतर्गत सार्वजनिक स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली को सुदृढ़ बनाना

4823. श्रीमती हेमा मालिनीः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार 'राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन' (एनएचएम) के अंतर्गत लोगों को आसानी से सुलभ, वहनीय और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ करने के संबंध में तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा विगत पांच वर्षों के दौरान एनएचएम के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता सहित तत्संबंधी उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ग): राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) स्वास्थ्य अवसंरचना में सुधार करने, स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों में पर्याप्त मानव संसाधनों की उपलब्धता, ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से अल्पसेवित और उपेक्षित समूहों के लिए गुणवत्तायुक्त स्वास्थ्य परिचर्या की उपलब्धता और पहुंच में सुधार के लिए सहायता प्रदान करता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय एनएचएम के तहत कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के रूप में प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर जन स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को मजबूत करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। भारत सरकार मानदंडों और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार कार्यवाही के रिकॉर्ड (आरओपी) के रूप में प्रस्तावों के लिए अनुमोदन प्रदान करती है।

वित्त वर्ष 2019-20 से वित्त वर्ष 2023-24 के लिए एनएचएम के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार केंद्र द्वारा जारी धनराशि का विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

****

अनुलग्नक

वित्त वर्ष 2019-20 से वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत केंद्र द्वारा राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार जारी की गई धनराशि						
						करोड़ रु. में
क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	34.92	36.91	43.68	45.26	37.84
2	आंध्र प्रदेश	1,111.07	1,097.81	1,199.37	1,489.45	1,096.01
3	अरुणाचल प्रदेश	185.95	243.04	188.53	233.82	404.55
4	असम	1,749.24	1,807.48	1,955.93	1,981.83	2,257.06
5	बिहार	1,510.68	1,814.63	1,748.76	1,586.57	2,032.95
6	चंडीगढ़	22.77	22.21	17.47	38.09	30.58
7	छत्तीसगढ़	816.07	979.41	969.61	1,195.08	875.80
8	दादरा और नागर हवेली	25.33	36.39	38.59	58.28	39.92
	दमन और दीव	16.79				
9	दिल्ली	138.74	125.73	127.37	35.15	150.54
10	गोवा	35.47	34.81	26.01	55.42	48.97
11	गुजरात	1,110.80	1,005.66	1,094.48	1,120.06	1,506.96
12	हरियाणा	567.71	531.50	577.07	681.21	524.01
13	हिमाचल प्रदेश	504.84	441.94	555.09	494.65	470.36
14	जम्मू और कश्मीर	702.20	667.46	459.10	651.52	805.22
15	झारखंड	830.63	602.80	640.18	810.30	958.06
16	कर्नाटक	1,173.77	1,232.19	1,274.71	1,246.67	1,187.60
17	केरल	836.14	788.22	771.47	1,036.76	189.15
18	लद्दाख	-	91.89	44.79	94.94	120.44
19	लक्षद्वीप	6.16	7.11	8.41	9.97	3.79
20	मध्य प्रदेश	1,728.73	2,377.14	2,295.66	2,582.10	2,545.68
21	महाराष्ट्र	1,724.99	1,833.59	1,769.67	2,187.13	2,729.30
22	मणिपुर	185.65	189.49	95.59	61.40	169.12
23	मेघालय	141.17	202.63	282.46	261.56	261.39
24	मिजोरम	127.24	143.73	93.82	111.82	134.42
25	नागालैंड	123.23	188.21	126.66	91.38	184.84
26	ओडिशा	1,475.14	1,617.63	1,263.07	1,284.69	1,901.77
27	पुदुचेरी	31.56	25.55	21.33	20.73	30.80
28	पंजाब	712.02	568.14	349.21	448.89	91.49

29	राजस्थान	1,781.83	2,000.58	1,924.95	1,460.80	2,785.46
30	सिक्किम	53.55	70.13	51.86	73.30	68.17
31	तमिलनाडु	1,424.22	1,522.71	1,631.91	1,652.24	1,996.06
32	तेलंगाना	964.34	671.88	725.67	683.77	564.93
33	त्रिपुरा	239.47	225.91	217.95	231.90	264.31
34	उत्तर प्रदेश	4,749.05	3,772.95	3,235.46	5,133.59	4,928.14
35	उत्तराखंड	348.83	583.25	553.47	505.01	711.33
36	पश्चिम बंगाल	1,749.32	1,895.01	1,654.26	1,252.32	890.42
नोट:						

1. उपर्युक्त जारी की गई धनराशियां केंद्र सरकार के अनुदानों से संबंधित हैं और इसमें राज्य के हिस्से का अंशदान शामिल नहीं है।

2. जम्मू और कश्मीर राज्य (जे एंड के) के संघ राज्य क्षेत्र जम्मू-कश्मीर और संघ राज्यक्षेत्र लद्दाख के रुप में पुनर्गठन के बाद, 2020-21 के दौरान पहली बार लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र को एनएचएम फंड वितरित किए गए थे।

****